



367

पूर्वोत्तर रेलवे

1/140/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0न0-4-13

कनाक-140/2017

सं0 ई/171/2/भाग-IV/चार

दिनांक -07-2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-रेलवे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को नियत चिकित्सा भत्ता (एफ.एम.ए.)
जारी करने के सम्बन्ध में।

1 एवं हिन्दी

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या पीसी-V/2010/ए/मेड/1 दिनांक 10.07.2017 की
अंग्रेजी/प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की
जा रही है।

संलग्नक/यथापरि

(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्यापी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

(Handwritten notes and stamps are present over the typed text.)

No.PC-V/2014/A/Med/1

New Delhi, dated 10.7.2017

The General Manager/ FA&CAOs/CPOs
All Indian Railways & PUs.

N. E. R. I. Y.

Sub: Grant of Fixed Medical Allowance (FMA) to the Railway pensioners/family pensioners - regarding.

References have been received regarding endorsement to be made in the RELHS card as per Board's letter No. P-1-V/2010/A/Med/1 dated 11-2-2014 which is causing hardship due to certain doubts to the Railway pensioners/family pensioners while claiming Fixed Medical Allowance. The matter has been examined in Board's office and it has been decided that in slight modification of the Board's letter of even number dated 11-02-2014, in the RELHS card of Pensioners/Family Pensioners following endorsements may please be made :

- (i) "whether eligible for OPD facility for other than chronic diseases – YES/NO"
- (ii) "whether eligible for OPD facility for chronic diseases – YES/NO"

The terms and conditions for FMA remain unchanged.

2. All the concerned may please be instructed to ensure the aforementioned endorsement in the RELHS card of Railway Pensioners/Family Pensioners.

3. Hindi version is enclosed.

(N.P Singh)

Dy. Director, Pay Commission-V
Railway Board

3
14/07/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF INDIA

रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं० पीसी-V/2010/ए/मेड/1

नई दिल्ली, दिनांक:- 10/07/2017

महाप्रबंधक/वित्तसलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य कार्मिक अधिकारी
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय:- रेलवे पेंशनभोगी/पेंशनभोगी परिवारों को निर्धारित चिकित्सा
भत्ता(एफएमए) प्रदान करना।

बोर्ड के दिनांक 11.02.2014 के पत्र सं० पीसी-V/2010/मेड./1 के अनुसार आरईएलएचएसकार्ड पर किए जाने वाले पृष्ठांकन, जिससे निर्धारित चिकित्सा भत्ते का दावा करते समय रेलवे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के कतिपय संदेह होने के कारण कठिनाई हो रही है, के संबंध में पत्र प्राप्त हुए हैं। इस मामले की बोर्ड कार्यालय में जांच की गई है तथा बोर्ड के दिनांक 11.02.2014 के समसंख्यक पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के आरईएलएचएस कार्ड में निम्नलिखित पृष्ठांकन किया जाए:

(i) क्या क्रोनिक बीमारियों को छोड़कर अन्य बीमारियों के लिए ओपीडी सुविधा के लिए पात्र हैं- हाँ/नहीं

(ii) क्या क्रोनिक बीमारियों के लिए ओपीडी की सुविधा के लिए पात्र हैं- हाँ/नहीं

एफएमए के लिए निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

2. कृपया सभी संबंधितों को रेलवे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के आरईएलएचएस कार्ड में उपरलिखित पृष्ठांकन करना सुनिश्चित करने का निर्देश दें।

(एन. पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-
रेलवे बोर्ड